राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91–0141–2710072

बोली प्रपत्र विक्रय की तिथि दिनांक 24.04.2017 से 03.05.2017 प्रातः 11:00 बजे तक
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 03.05.2017 को अपराह्न 1:00 बजे तक
बोली प्रपत्र खोलने की तिथी दिनांक 03.05.2017 को सायं 3:00 बजे
बोली प्रपत्र शुल्क रू. 200 / – अमानत राशि रूपये 6000.00

बोली प्रारूप

(*कार्यालय उपयोग हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु*)

1. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता...
....
....टेलीफोन...
2. जिसको सम्बोधित किया :– निदेशक, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान, जयपुर ।
3. सन्दर्भ बोली सूचना संख्या 01 / 2017–18 दिनांक 24.04.2017
4. बोली प्रपत्र शुल्क राशि 200 / – नगद रसीद संख्या....................................दिनांक.............................. द्वारा जमा करा दी गई है।
5. बैक ड्राफ्ट / बैकर्स चैक संख्या...................................दिनांक.................................(बैक का नाम) पर आहरित किया गया है। नगद रसीद संख्या ....दिनांक................रूपये के अमानत राशि रू. 6000 / –के लिये संलग्न कर दिया गया हैं ।
6. वर्णित दरें वित्तीय वर्ष 2017–18 की अवधि के लिए मान्य होगी।
7. फर्म अथवा अधिकृत व्यक्ति का आयकर विभाग द्वारा जारी पेन व उसकी छाया प्रति संलग्न है।
8. आपूर्ति की जाने वाली वाहन की अनुमानित दर, स्पेसिफिकेशन तथा वित्तीय दर एनेक्सर–ई मे अंकित कर दी गई है।
9. आदेश दिये जाने पर शीघ्र वाहन उपलब्ध करवाना होगा।
10. जहॉ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम लागू होंगे इसके साथ ही राज्य मे दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 के प्रावधान इस बोली पर प्रभावशील होगें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं. 2709827/2710072 फैक्स नं. 91–0141–2710072

कार्यालय उपयोग हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु

टिप्पणीः– बोलीदाताओं को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढना चाहिये तथा अपनी बोली भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये ।

1. बोलीदाता को निविदा सूचना मे दिये गये निर्देशो के अनुसार उचित रूप से मोहरबन्द लिफाफे मे बन्द करना चाहिये ।
2. बोलीदाता के पास उपलब्ध वाहन एवं रख–रखाव हेतु परिवहन विभाग से रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। पंजीयन प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं होने की दशा में निरस्त की जा सकती है।
3. फर्म आदि के गठन मे किसी भी परिवर्तन की सूचना राइसेम को लिखित मे बोलीदाता द्वारा दी जावेगी
4. वेट कर पंजीयन एवं शोधन प्रमाण–पत्र (Clearance Certificate) –कोई बोलीदाता जहॉ उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य मे प्रचलित वेट कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा। वेट कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिऐ तथा सम्बंधित सर्किल के वाणिज्यि कर अधिकारी से वेट कर शोधन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसके बिना बोली को रद्व कर दिया जाएगा।
5. बोली प्रारूप स्याई से भरा जाएगा या टंकण से भरा जाएगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त मे बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण मे हस्ताक्षर करेगा।
6. **दर निर्धारित वित्तीय प्रपत्र मे अंकित की जाएगी।** इसमे कोई त्रुटियां (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए।यदि कोई शुद्वियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों मे राजस्थान वेट कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिए ।
7. (1) <u>दरों की तुलना :–</u> राजस्थान के बाहर की फर्मो द्वारा तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मा द्वारा जो नियमो के अन्तर्गत मूल्य अधिमान मे लिए अधिकृत नहीं है, बोलीदत्त दरों की तुलना कर मे राजस्थान वेट कर की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा।

   (2) राजस्थान के भीतर की फर्मो के सबंबंध मे दरों की तुलना करते समय राजस्थान वेट कर की राशि को शामिल किया जाएगा।
8. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नही सौपेंगा या उप–भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
9. **बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी)**

(क) बोली के साथ 6000/– रू. की बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि निदेशक, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम), जयपुर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी भी रूप में जमा कराया जाना चाहिये।

(i) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय (Refund of earnest money) असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार कर अनुबंध निष्पादन के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जायेगी।

(ग) किराये के वाहन के परिचालन के समस्त व्यय, मरम्मत एवं समस्त प्रकार के कर आदि व्यय बोलीदाता को वहन करने होंगे।

(घ) वाहन जयपुर से बाहर जाने की स्थिति में टोल टैक्स का भुगतान बोलीदाता द्वारा ही वहन किया जावेगा, जिसका पुनर्भरण बिल के साथ रसीद प्रस्तुत करने पर राइसेम द्वारा किया जावेगा।

(ड.) वाहन परिचालन के समय हुए दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में समस्त प्रकार के दायित्व बोलीदाता के होंगे।

(य) वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में वाहन चालक के चोट लगने व अन्य प्रकार की असमयिक मृत्यु होने की स्थिति में वाहन चालक के समस्त प्रकार के दायित्वों के भुगतान बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे।

(व) वाहन चालक के पास परिवहन विभाग द्वारा सम्यक लाइसेन्स होना आवश्यक है।

(र) जो वाहन राइसेम को परिचालन हेतु उपलब्ध कराया जावेगा उसका बीमा होना अनिवार्य है।

(ल) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(स) अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रद्द की गयी या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा। तथापि यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

10. **बयाना राशि का समपह्वरणः** बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगा–
   1 जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।
   2 जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।
   3 जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।
   4 जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

11. **(अ) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and security deposit)**
   1. सफल बोलीदाता को आदेश प्राप्ति की दिनांक से 7 दिवस की अवधि मे प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन वाहनों के लिये बोली स्वीकार की गई है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति अनुबंध के साथ ही जमा करानी होगी ।
   2. बोली के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।
   3. प्रतिभूति राशि पर राइसेम द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
   4. प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगेः–
      (क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ /एफ0डी0आर0

(2) **(ब) प्रतिभूति निक्षेप का समपह्वरण प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगा :–**

   (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लघंन किया गया हो।
   (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने से असफल रहा हो।
   (ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

12. भुगतानः–

I. वाहन की सप्लाई के लिए अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

II. जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए सामान की सुपुर्दगी के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों तथा राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

III. विवादास्पद मदों के संबंध में राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

13. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) में पेश की जायेगी, अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी ।

14. राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के उपनियम–29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड अध्यधीन होंगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सामान माल, संकर्मों या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नानुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

<u>बोलीदाता द्वारा घोषणा</u>

मै/हम/घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने जिन वाहनों के लिए बोली दी है उनका/उनके/मै प्राधिकृत विक्रेता है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी प्रकार की अन्य कार्रवाई जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी अमानत राशि को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जाएगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, को रद्द कर लिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10—बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91—0141—2710072

लिफाफा—1

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) में किराये पर वाहन उपलब्ध करवाये जाने हेतु

:: तकनीकी निविदा प्रपत्र ::

मूल्य रू. 200 / — (डाक द्वारा मंगवाने पर 250 / — रूपये)

अमानत राशि रूपये 6,000 / —

विद की अनुमानित मूल्य : 3 लाख रूपये

निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि : 03.05.2017 अपरान्ह 1:00 बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक : 03.05.2017 सांय 3:00 बजे

1.	बोलीदाता का नाम	
2.	बोलीदाता का स्थानीय पता (मय टेलीफोन / मोबाईल नम्बर)	
3.	बोलीदाता का स्थाई पता (मय टेलीफोन / मोबाईल नम्बर) साक्ष्य के लिए राशन कार्ड / मतदाता परिचय पत्र / पानी / टेलीफोन / बिजली के बिल की सत्यापित प्रति)	
4.	बोलीदाता को वाहन उपलब्ध करवाने का अनुबन्ध प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी की प्रमाण प्रति संलग्न करें। (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करें)	
6.	बोलीदाता / फर्म का पेन नम्बर (फोटो प्रति संलग्न करें)	
7.	बोलीदाता / फर्म का सर्विस टैक्स नम्बर (फोटो प्रति संलग्न करें)	
8	वाहन चालक का लाइसेंस प्रमाण पत्र की प्रति संलगन करें। (फोटो प्रति संलग्न करें)	
9.	अन्य प्रमाण पत्र (फोटो प्रति संलग्न करें)	
10.	गत तीन वर्षों के वार्षिक लेखो की अंकेक्षित प्रतिलिपि	
11.	गत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि संलग्न करें	
12.	गत एक वर्षो का बैंकर्स का विवरण पत्र संलग्न करें	
13.	निविदा प्रपत्र हेतु रसीद संख्या एवं दिनांक	रसीद संख्या .... दिनांक ....
14.	अमानत राशि रूपये 6,000 / — का विवरण	बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम .... राशि ....
15.	कार्य प्रारम्भ करने के लिए चाही गई अवधि	
16.	संलग्न शर्तों पर सहमति हाँ / नहीं (सहमति स्वरूप समिति द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करें।	हाँ अथवा नहीं

मैं .... पुत्र श्री .... सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त अंकित विवरण एवं संलग्न सभी विवरण सही एवं सत्य है तथा राइसेम की संलग्न सभी शर्तें स्वीकार है।

मैं निविदादाता .... पुत्र श्री .... निविदा प्रपत्र की शर्तों के अनुसार माने गये पी.एफ., ई.एस.आई, श्रम विभाग का पंजीयन, पैन नम्बर, अनुभव प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां संलग्न कर रहा हूं।

साथ ही घोषणा करता हूं कि मेरे खिलाफ किसी भी पुलिस स्टेशन/न्यायालय में केई आपराधिक मामला नहीं चल रहा न ही मुझे पूर्व में राइसेम द्वारा अनियमितता के कारण दण्डित/ब्लैक लिस्टेट किया हुआ है।

उपरोक्त दस्तावेज न प्रस्तुत करने पर एवं मेरे द्वारा की गई घोषणा गलत पाये जाने पर मेरी अमानत राशि राइसेम में जब्त समझी जावेगी एवं टेण्डर की अवधि के दौरान तथ्य उजागर होने पर टेण्डर को निरस्त भी किया जा सकेगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम ....
(आवेदक)
स्थान ....

दिनांक ....

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं. 2709827/2710072 फैक्स नं. 91–0141–2710072

लिफाफा–2

:: वित्तीय निविदा प्रपत्र ::

खुली बोली सूचना 01/2017–18

इस कार्यालय के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु निम्नलिखित वाहन उपलब्ध करवाये जाने हेतु खुली बोली आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन का विवरण	दर प्रति किलोमीटर समस्त खर्चो सहित	विशेष विवरण
1.	कार (इन्डिगो, इन्डिका, शिफ्ट डिजायर एवं अन्य समकक्ष वाहन)		
2.	इनोवा एवं इसके समकक्ष अन्य वाहन		
3.	बस 25 सीटर एवं इसके समकक्ष वाहन		
4.	बस 16 सीटर एवं इसके समकक्ष वाहन		
5.	बस 45 सीटर एवं इसके समकक्ष वाहन		

1. वाहन से सम्बन्धित राज्य सरकार के नियमानुसार समस्त खर्चे बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे।
2. अमानत राशि के बिना प्राप्त बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. बोली निर्धारित प्रपत्र मे ही स्वीकार की जावेगी।
4. बोली से संबंधित नियम, शर्तें एवं बोली प्रपत्र निर्धारित शुल्क कार्यालय खंजाची को नगद जमा करा कर दिनांक 24.04.2017 से 03.05.2017 को प्रातः 11:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। या वैबसाईट http://sppp.raj.nic.in एवं www.ricem.org से भी डाउनलोड किये जा सकते है। डाउनलोड किये गये बोली प्रपत्र का निर्धारित शुल्क रू. 200/– बोलीदाता द्वारा पृथक से डिमाण्ड ड्राफ्ट निदेशक, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) जयपुर के नाम से बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। मोहरबन्द बोली दिनांक 03.05.2017 को अपराह्न 1:00 तक कार्यालय मे प्रस्तुत की जा सकेगी, जो उसी दिन सांय 3.00 बजे उपस्थित बोलीदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जावेगी।

निदेशक